भारत सरकार रेल मंत्रालय GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

PC-VI. No. 87

(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.E(P&A)I-2008/PS-5/PE-4

New Delhi, dated 17.03.2009.

RBE NO. 48/2009

The General Manager (P), Northern Railway, New Delhi.

Sub: Recommendations of VI CPC – Decision of Government relating to grant of Special Allowance to Teaching staff of Oak Grove School, Jharipani.

In reference to the recommendations of the VIth Central Pay Commission on the above subject, the President is pleased to sanction Special Allowance @ 10% of the pay band and grade pay to teachers, Librarians and other Teaching Staff of Oak Grove School.

- 2. The above orders will take effect from 1.9.2008.
- 3. The existing provision of Special Allowance to Asstt. Mistress @ Rs.200/-p.m. will be discontinued w.e.f. 1.9.2008.
- 4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
- 5. Kindly acknowledge receipt.

(Chander Parkash) Joint Director Estt.(P&A), Railway Board

No.E(P&A)I-2008/PS-5/PE-4

New Delhi, dated 17 .03.2009

Copy to

1. The Principal Director of Audit, Northern Railway.

2. The Deputy Controller and Auditor of India(Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (with 10 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

No.E(P&A)I-2008/PS-5/PE-4

New Delhi, dated 17.03.2009

Copy to the FA &CAO, Northern Railway.

(Chander Parkash) Joint Director Estt.(P&A), Railway Board

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी- 10 / 87 सं. ई (पी एंड ए) I-2008/पीएस-5/पीई-4 आर बी ई सं 48/2009

नई दिल्ली, दिनांक । 7.03.2009

महाप्रबंधक (कार्मिक), उत्तर रेलवे, नई दिल्ली।

> विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश - ओक ग्रोव स्कूल झारीपानी के शिक्षण कर्मचारियों को विशेष भत्ता प्रदान करने संबंधी सरकार का निर्णय।

उपर्युक्त विषय पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, राष्ट्रपित जी ओक ग्रोव स्कूल के शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और अन्य शिक्षण कर्मचारियों को पे-बैंड और ग्रेड-पे की 10% की दर से विशेष भत्ता सहर्ष स्वीकृत करते है।

- ये आदेश 01.09.2008 से प्रभावी होंगे।
- 3. सहायक मिस्ट्रेस को 200/- रुपए प्रति महीने की दर से विशेष भत्ता के मौजूदा प्रावधान को 01.09.2008 से बंद कर दिया जाएगा।
- 4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमित से जारी किया जा रहा है।
- 5. कृपया पावती दें।

- CUBONILI

(चन्द्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.)

रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)I-2008/पीएस-5/पीई-4

नई दिल्ली, दिनांक / 7.03.2009

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. प्रधान लेखा परीक्षक, उत्तर रेलवे।

2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सिहत)।

कृते वित्तं आयुक्त, रेलें

नई दिल्ली, दिनांक 17.03.2009

सं. ई (पी एंड ए) I-2008/पीएस-5/पीई-4

प्रतिलिपिः विस एवं मुलेधि, उत्तर रेलवे को प्रेषित।

-clbaux1

(चन्द्र प्रकाश) संयुक्त निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.) रेलवे बोर्ड